रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265769
SG-DL-E-30082025-265769

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 193
No. 251] DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947 [N. C. T. D. No. 193

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (III) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

फा.सं. 1(18)/प्रशा0/2003/गृह–III/भर्ती नियम/पार्ट फाइल/524-532–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा0 24/78/68–डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 24 अगस्त, 2011 की अधिसूचना फा0 सं0 1(18)/प्रशा0/2001/गृह–III/650–662 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली अग्नि शमन सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में निदेशक (अग्नि) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (i) इन नियमों को दिल्ली अग्नि शमन सेवा विभाग, निदेशक (अग्नि) भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**निदेशक**
2.	**पदों की संख्या**	:	01' (2025) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह–क, राजपत्रित, (अलिपिकीय)
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–14 (144200–218200/–रुपये) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं

10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धति :** पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ''वेतन मैट्रिक्स'' रुपये 131100–212600/– के स्तर–13 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त ग्रेड में 02 वर्षों की सेवा सहित, जिसके न होने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा उप–मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ग्रेड में 08 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ग्रेड में न्युनतम 1 वर्ष की सेवा हो। **टीप 1:–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो। **टीप 2**:– पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ, दिनांक 01–01–2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा, जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर तदनुरूप विस्तारित वेतन/वेतनमान के रूप में की गई सेवा मानी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/महानगरीय शहरों के नगर निगम के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा

			(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (131100/–रुपये) के स्तर–13क में प्रदत्त ग्रेड में 02 वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (123100/–रुपये) के स्तर–13 में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त ग्रेड में 03 वर्षों की नियमित सेवा सहित; **तथा** निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले : **अनिवार्यः** i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री अधिमानतः। ii. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से मण्डलीय अधिकारी का कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी (अग्नि) में स्नातक की डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स (यू.के.) की सदस्यता परीक्षा उत्तीर्ण। बड़े अग्निशमन सेवा संगठन में नियमित आधार पर प्रबंधकीय पद पर 17 (सत्रह) वर्षों का अनुभव। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को

			छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। **टीप** :– प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, दिनांक 01–01–2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर तदनुरूप विस्तारित वेतन ग्रेड/वेतनमान के रूप में की गई सेवा मानी जाएगी, के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का एक सामान्य वेतन ग्रेड/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 – सदस्य 3. विभाग के प्रशासनिक सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राखी सिंघल, उप–सचिव (गृह)

HOME (III) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th August, 2025

F. No. 1(18)/Admn/2003/H-III/R.R/P.F/524-532.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. 24/78/68-DH (S), dated 24th September, 1968, and in supersession of this Government's Notification No. F.1(18)/Admn/2001/Home-111/650-662 dated 24th August 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Fire) in Delhi Fire Service, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement -

(i) These rules may be called the Director, Delhi Fire Service, Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix - The number of the said post, its

classification and pay level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification: No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Director	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non Ministerial)	"Level 14 in the Pay Matrix i.e. Rs.144200-218200/- as per 7th CPC	Selection	NA	NA

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion / Deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : NA	NA	**Method :** Promotion failing which by deputation	**Promotion:** Chief Fire Officer with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in **Level 13 A of the "Pay Matrix" Rs.131100-**	Category 'A' Departmental Promotion Committee (For Considering	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on

			212600, failing which 8 years combined regular service in the grade of Chief Fire Officer and Deputy Chief Fire Officer with a min. of one year service in the Grade of Chief Fire Officer. **Note1:-** Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service of more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note2:-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation:** Officers of the central/state govt./ Union territories/ municipal corporations of metropolitan cities. (a) (i)Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; OR (ii) With two years regular service in grade rendered in **level 13-A of pay matrix (Rs. 131100)** in the parent cadre/ department; OR (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis with **level 13 of Pay Matrix (Rs. 123100)** in the	Promotion): 1. Chairman/ Member, UPSC – Chairman 2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi – Member 3. Administrative Secretary of the Department, Govt. of NCT of Delhi - Member	Deputation

			parent cadre/department; and Possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential:** I. A degree preferably in Science from a recognized university. I. Divisional Officers course of National Fire Service College, Nagpur, or Bachelor's of Engineering (Fire) from a recognized university or passed membership examination of the Institute of Fire Engineers (U.K.). I. 17 (seventeen) years experience in managerial position on the regular basis in the large fire service organization. (The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible of consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration of appointment by promotion.) (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment of the central govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **NOTE:-** For the purpose appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on the regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of		

			pay in to one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
RAKHI SINGHAL, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.30 09:33:38 +05'30'